



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 521 / 12-1 दिनांक, चकराता 12- अगस्त 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा-नैहरा-पुनाहा मोटर मार्ग का निर्माण कि०मी० 1 से 5 तक। लम्बाई 4.700 कि०मी० के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 2.065 है०

संदर्भ :- 1-FP/UK/Road/11427/2015
2-आपका ई०डी०एस० दि० 29.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार का पत्र दिनांकित 16.01.2020 के द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर, निराकरण आख्या निम्नानुसार है-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	There is no change in the proposal in terms of scope, purpose and other important aspects.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में किसी प्रकार का Scope परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा।
2	All the required information has been made available.	प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण हेतु समस्त अभिलेख इस कार्यालय का पत्रांक-913/12-1 दि० 21.09.2017 से (छायाप्रतियां) तथा पत्रांक-2027/12-1 दि० 06.12.2019 (04 मूल प्रतियों में) उपलब्ध करा दी गई है। डिजीटल मैप एवं जियो रिफरेंस मैप की 02-02 मूल प्रतियां संलग्न प्रेषित है।
3	Delay in providing the information is satisfactorily explained.	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का ई०डी०एस० दि० 11.04.2016 से पुनः 12 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि डिजीटल मैप, जियो रिफरेंस मैप को पुनः तैयार करने व सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाने में अधिक समय लगने के कारण प्रस्ताव में विलम्ब हुआ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।